अनुसूची 21-क्रम संख्या 111। वाद सं० 1016/आदेश 24/3/2022

सम्पत्ति अवधारण-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं०.....822.....2022 आवेदन सं०.....822.....2022

। पूर्वि की Smt. Royal Builders & Promoters ..... के प्रार्थना आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्ति का और अवधारण का प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र निर्गत करता हूँ। Dhanbad.

(आवेदन में दिये गये क्रम के अनुसार विवरण दें)

। हमारे द्वारा जारी प्रमाणित किया है कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाली सम्बन्धित और अवधारण के लिये है यहाँ। मैं और जारी प्रमाण अनुसूची में है सं.....3292.....से सं.....3314 & 153(P) date.....तक सम्पत्ति की भूमि और रेखी सम्पत्ति के बाद निम्न सम्पत्तियों पर अवधारण का भूल चालू है।

क्रम सं०	(क) प्रभाग का विवरण	विस्तार की सीमा	(ख) रकबे का प्रमाण और मूल्य	पाने के मान		रकबे की अवधि के प्रति विवरण		
				विस्तार	रकबा	जिला	वर्ग	पृष्ठ
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	Khata No. 311 Area 31 dec. Mouza — Nagar Jatia, R.S. Hol No. 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, & 153(P) C.S. Hol No. 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, & 153(P) Total Area: 31 dec.			NIL		

(ग) सम्पत्ति के अनुसार विवरण दर्ज करें। Bidyut Roy

(घ) 1. प्रमाण-पत्र की दशा में चालान की तथा और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि, इसके बारे में प्रतिवेदन हो।
2. मूल्य की दशा में पहले की अवधि और वर्तमान मूल्य दर्ज करें।

Scanned with CamScanner

FOR ROYAL BUILDERS & PROMOTORS

PARTNER

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अनुबन्ध लेनदार और अवधारी की ओर, बयान दर्शाने की कार्यवाही करते किसी अन्य लेनदार और अवधारी का पता नहीं चला है।

मिन्न अधिनियम के तहत की और प्रमाण-पत्र निम्नः दिया।

(हस्ताक्षर) -

(पदनाम) - clerk

प्रमाणी पत्र सत्यापन और प्रमाण-पत्र की मोहर मिन्न अधिनियम के की

(हस्ताक्षर) -

(पदनाम) - clerk

कार्यालय District Sub Registrar office

तारीख 29/8/2011

निबन्धन अधिकारी या सहायक

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संशोधन और अवधारण किये गये है व आवेदक द्वारा अन्य प्रस्तुत रिपोर्ट विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण में भिन्न विवरण देकर किसी अन्य सम्पत्तियों के निर्धारित सम्बन्ध में विवाद पाया जाये, तो ऐसी परिस्थिति में प्रमाणित संशोधन (हस्ताक्षरण) इस प्रमाण पत्र में अंकित न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ४० के अधीन जो अंकित कीमतें और अनुसूचियाँ (Schedules) में विसंगतियाँ देखने पायी हो, अथवा जो प्रस्तुत दस्तावेज किसी धारा के अधीन जिसे विशेषित संपत्तियों में अन्तरण है [illegible] की जगह ही उन्हें सरकारी राजस्व बोर्ड [illegible] गलत का सुधारन करने पर संशोधित और अनुसूचियों [illegible] सरकारी राजस्व के होगी।

३) किन्तु दुष्टि सर्वेक्षण मानचित्र में आवेदक के स्वयं सरकारी नहीं की है, इसलिए सर्वेक्षण के अंकित सरकारी अंकों पर्याप्त [illegible] है। फिर भी विवाद प्रमाणपत्र में दिये गये सरकारी संख्या को किसी पूर्व के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

४) और दुष्टि सर्वेक्षण मानचित्र में आवेदक के अंकित सरकारी स्वयं को है और दुष्टि [illegible] पर नये सरकारों और अवधारी की सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विवाद आवेदक द्वारा न दिये गये देने सरकारों और अवधारों की पूर्व के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिसके पक्ष सम्पत्ति पर प्रभाव पाया है।

Search made by me
Rabindra Roy

Scanned with CamScanner

FOR ROYAL BUILDERS & PROMOTORS

NH Clear

PARTNER